रा.निगरानी प्र.क.   /
प्रस्तुती दिनांकः 4/12/2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर्षद ग्वालियर

स्थान इन्दौर, इन्होंके समक्ष में

निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत,

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा/2018/0270

नारायण पिता गोपालजी सिरवी आयु 50 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी सीबार तहसील गोगावां
जिला खरगोन — निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन — प्रत्यर्थी

कार्यालय ... इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ... अभिभाषक द्वारा दिनांक 04-12-17 को प्रस्तुत।
961
04-12-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विषयः— कृषि से आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन बाबद ।

इसमें निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार हैः—

यहकि निगरानीकर्ता यह माननीय अधिनस्थ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय राजस्व न्यायालय इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क.496/अपील/2016—17 में दिनांक 14/8/17 को पारित आदेश से असन्तुष्ट एवं परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 14/8/17 का है। प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु दिनांक 14/9/17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 10/11/17 को प्राप्त हुई है। निगरानी आवेदन यह आदेश दिनांक को छोड़कर 60 दिन की अवधि अर्थात दिनांक 13/10/17 तक प्रस्तुत हो जानी थी। यह निगरानी दिनांक 4/12/17 को प्रस्तुत की जा रही है, इस प्रकार कुल 112 दिन में प्रस्तुत होना प्रतीत होती है। इसमें से दिनांक 14/9/17 से 10/11/17 तक के दिन कुल 58 दिन कम करते यह निगरानी 60 दिवस में प्रस्तुत की जा रही है इसलिये यह निगरानी अवधि में प्रस्तुत है।

यहकि यह निगरानी योग्य न्यायशुल्क पत्र रूपये 30/— पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि निगरानीकर्ता के नाम से जिला खरगोन तहसील गोगावां के प.ह.क्रमांक गोपालपुरा के ग्राम गोपालपुरा में खसरा क.115/14 रकबा 0.045 हेक्टेअर की भूमि भूमि राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठ होने के आधार पर अपनी भूमि का आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन करवाने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी

—निरन्तर—2

PBR/निगरानी/([illegible])/[illegible]/2018/0270

17-10-18 not press ASK	आवेदक अधि० श्री हेमन्त खोडे उप०। उनके द्वारा बताया गया कि वह प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इस कारण प्रकरण नोट प्रेस के समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	C. Alon Noted 17/10/2018 Not Press Hemant Khode Advocate Incharge